कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 218 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 23 जुलाई, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र थराली– घाट के अन्तर्गत बंगाली(बांजबगड़) से विकासखण्ड रूईसाणा के निर्माण हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.8425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/146251/2021)

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–6996 / 12–1 दिनांक 25.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–

   a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.

   b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

   उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न / अपलोड किया जाए।

2. प्रस्ताव में अत्यधिक बांज वृक्षों का पातन निहित है। बांज वृक्षों के पातन को न्यूनतम तक सीमित किया जाय तथा वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जानी अपेक्षित है।
4. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं उन कमियों / सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त कर लेवें तथा समस्त इंगित कमियों / सूचनाओं का निराकरण करते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :– 218 /12–1 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण करने हेतु सम्बन्धित को लिखने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

2. **प्रतिलिपि** :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० कर्णप्रयाग को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर अपना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(आर०के० मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।